

Form No. III  
 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा  
 फर्द अहकाम  
 (नियम 26)

विक्रम सिंह बनाम छवील वगैरा

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज

प्रार्थना पत्र - 212 जा0दी0 संख्या 480 वर्ष 2022

नम्बर व तारीख  
 अहकाम जो इस हुक्म  
 की तारीख में जारी हुए

तारीख  
 हुक्म

28.10.2022

आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।

अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी 23-11-2022 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबन्द किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 191 रकबा 0.72, 194/0.27, 196/0.31 वाके ग्राम हुसैपुर तहसील टपुकडा जिला अलवर (राज0) जिला अलवर (राज0) पर प्रार्थी के हिस्से तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है।

क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावे? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थीगण वास्ते तलबी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, बाद तलबी पत्रावली वाद के साथ पेश हों।

*[Signature]*

उपखण्ड अधिकारी  
 तिजारा (अलवर)

*[Signature]*

23/11/22 पत्रावली आज पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। वादी का वाद नोटिस में खारिज हो चुका है। अतः यह प्रार्थी पत्रावली खारिज किया जाता है। पत्रावली में सल सुभार हुकर वाद लकन-मील दारिबल इपलर है।

*[Signature]*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 तिजारा (अलवर)

*[Signature]*

*[Signature]*